

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत भूलेरी
पीठासीन अधिकारी श्री सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.

वाद संख्या 4/05/17

अनुवान-कृपाल बनाम सरकार निवासी भूलेरी तहसील रैणी।
ईजराय



03.05.2018:-आज यह पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भूलेरी पर स्वप्ररेणा से वास्ते निर्णय पेश हुई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रकरण में डिक्री की पालना में नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 03.05.2018 को दर्ज व स्वीकार हो चुका है। अतः पालनाशेष नहीं है। इसलिये प्रकरण मे आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से कार्यवाही प्रकरण ड्रॉप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट भूलेरी तहसील रैणी पर सुनाया गया।

(सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत भूलेरी